

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण १

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड १

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २०६] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर १२, १९७२/भाद्र २१, १८९४

No. 206] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 1972/BHADRA 21, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 12th September 1972

SUBJECT.—*Import of Cars by disabled Indian Nationals.*

No. 131-ITC(PN)/72.—Attention is invited to para 1(iii) of Public Notice No. 39-ITC(PN), 72, dated 4th March, 1972 and para 3(3) of Appendix 27 of Hand Book of Rules and Procedure (1972-73), on the above subject.

2. The above provision has been reviewed further and it has now been decided that under this provision import of such cars *only*, as are fitted with necessary disability devices and or controls and are thus suitably converted for use by disabled persons, will be allowed, since the intention in allowing such imports is that the disabled applicant can use and drive the car himself without having to depend on a driver. In this connection it is clarified that import of cars with automatic transmission *only* which are not fitted with any disability devices controls etc. will not be allowed to be imported.

3. It has also been decided to scale down the existing monetary limit of Rs. 30,000 c.i.f. to Rs. 22,000 c.i.f. Applications for import of above types of cars from disabled persons within the revised monetary limit of Rs. 22,000 c.i.f. will be considered by the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, in the enclosed application form duly supposed by documents mentioned in column 13 of this form.

(1617)

*Application form for an Import Trade Control Licence for a build-up Invalid car
by disabled Indian National permanently settled in India*

1. Name of the applicant.
2. Nationality.
3. Designation/Nature of business.
4. Full address abroad.
5. Make and model of the vehicle and full description of the specially suggested devices/gadgets with c.i.f. value.
6. Manner in which foreign exchange will be found for purchase of vehicle.
7. If it is a gift, relationship of the donor.
8. Purpose for which the car is needed in India (full justification to be given).
9. Whether applicant, his wife/husband or dependent has already imported a car, or any other vehicle into India previously. If so, give particulars of the same, mentioning import licence number and date.
10. Whether an application for import of car etc., was made previously and if so, with what result? CCI&E's reference should be quoted.
11. Whether a treasury receipt for the requisite amount as application fee is enclosed? Indicate amount.
12. Proposed date of shipment of car and the port of disembarkation.
13. Documents to be enclosed to the application.
 - (i) T.R. for Rs. 50.
 - (ii) Medical certificate from the Civil Surgeon of the concerned State in India/competent Army Medical Authority (in case disabled officer of Indian Army) certifying the type of physical disability of the applicant and whether the applicant would be in a position to drive the car personally with the specially suggested gadgets for the car.
 - (iii) Certificate showing essentiality of the car by you from the employer/ or concerned appropriate authority.
 - (iv) Documentary evidence of earnings i.e. employers certificate/to establish that the applicant is in a financial position to purchase/maintain the car. Please state whether you are still in service and if not source of income should be furnished.
 - (v) Affidavit duly sworn before a 1st Class Magistrate etc. that the applicant is permanently settled in India.
 - (vi) Descriptive literature of car and special devices proposed to be imported with invoice (c.i.f. value not to exceed Rs. 22,000).

I/We hereby declare that the above statements are correct. I/We fully understand that any licence granted to me/us on the basis of the statements furnished is liable to cancellation without prejudice to any other action that may be taken under the law, if it is found that any of the statements or part hereof is incorrect.

(Signature)

Place & date :

Name in block letters :

Designation :

Residence Address :

NOTE.—The application fee should be deposited, in cash at any Government Treasury, office of the State Bank of India or the Reserve Bank of India, transacting the business of Central Government, for credit to the Central Government under a separate head—Import Licence Application Fee subordinate to the major head—XXXII Misc., Social and Development Organisation.

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1972

विषय.—विकलांग भारतीय राष्ट्रियों द्वारा कारों का आयात

संख्या 131-आई० टी० सी० (पीएन)/72.—उपर्युक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना संख्या 39-आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 4 मार्च, 1972 के पैरा 1(3) और नियम तथा क्रियाविधि हैडबुक (1972-73) के परिशिष्ट 27 के पैरा 3(3) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उपर्युक्त व्यवस्था की ओर पुनरीक्षा की गई है और अब यह निश्चय किया गया है कि इस व्यवस्था के अधीन केवल ऐसी कारों के आयात की अनुमति दी जायेगी जिन में विकलांगता के आवश्यक यंत्र और या नियंत्रण लगे हों और जो विकलांग व्यक्तियों के उपयोग के लिए अच्छी तरह परिवर्तित की गई हों, क्योंकि ऐसे आयातों की अनुमति देने का उद्देश्य यह है कि विकलांग आवेदक चालक पर निर्भर किए बिना स्वयं कार का उपयोग कर सकता है और चला सकता है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल स्वचालित संवर्ण वाली ऐसी कारों के आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन में कोई विकलांगता का यंत्र या नियंत्रण आदि नहीं लगा हुआ है।

3. वर्तमान आर्थिक सीमा के मानदंड को भी 30,000/- रुपए लागत-बीमा-भाड़ा से कम करके 22,000 /-रुपए लागत-बीमा-भाड़ा करने का निश्चय किया गया है। 22,000/- रुपए लागत-बीमा-भाड़ा की परिशिोधित आर्थिक सीमा के भीतर विकलांग व्यक्तियों के उपर्युक्त किस्मों की कारों के आयात के लिए आवेदनपत्रों पर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा विचार

किया जाएगा। उक्त आवेदनपत्र संलग्न प्रपत्र में और इस प्रपत्र के कालम 13 में उल्लिखित दस्तावेजों द्वारा समर्थित होने चाहिए।

स्थायी रूप से भारत में रहने वाले विकलांग भारतीय राष्ट्रिक द्वारा तैयार अवैध कारों के आयात के लिए आयात व्यापार निषेधण लाइसेंस के लिये आवेदन प्रपत्र।

1. आवेदक का नाम
2. राष्ट्रिकता
3. ओहदा/व्यवसाय किस प्रकार का है
4. विदेश का पूरा पता
5. वाहन का मेक और मॉडल तथा लागत बीमा भाड़ा के साथ विशेष रूप से सुझाये गये यंत्रों मशीनों का पूरा व्यौरा
6. वाहन खरीदने के लिये विधि जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाएगी।
7. यदि यह उपहार है तो उपहार देने वाले के साथ सम्बन्ध।
8. किस प्रयोजन के लिये कार की आवश्यकता भारत में है (पूर्ण औचित्य दिया जाना है)।
9. क्या आवेदक उसकी पत्नी/पति या आश्रित ने पहले से ही अन्य कोई वाहन का आयात भारत में कर रखा है? यदि हां तो आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक का उल्लेख करते हुये उसका व्यौरा दीजिये।
10. क्या पहले कार आदि के आयात के लिये कोई आवेदन दिया गया था यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला? मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के सन्दर्भ का उल्लेख किया जाना चाहिये।
11. क्या आवेदक—शुल्क के रूप में आवश्यक धनराशि के लिये कोई राजकोष चालान संलग्न किया गया था? उसकी धनराशि का संकेत कीजिये
12. कार के पौतलदान करने की प्रस्तावित तारीख और अवतरण-पत्तन।
13. आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रलेख।
14. 50 रुपये के लिये राजकोष चालान

(2) भारत में सम्बन्ध राज्य के मिजिल सर्जन/ममर्थन सेना चिकित्सक प्राधिकारी (भारतीय सेना के विकलांग अधिकारी के मामले में) द्वारा आवेदक की शारीरिक विकलांगता की किस्म तथा यह कि कार के लिये विशेषतः सुझायी गई मशीनों के साथ आवेदक कार को स्वयं चलाने की स्थिति में होगा इसे प्रमाणित करते हुये चिकित्सा प्रमाण-पत्र।

(3) नियोक्ता/अथवा सम्बद्ध उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा एक प्रमाणपत्र जिसमें आपके द्वारा कार की आवश्यकता के बारे में बताया गया हो।

(4) अर्जन के दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात् नियोक्ता का प्रमाणपत्र जो यह सिद्ध करे कि आवेदक में कार को खरीदने/रख-रखाव करने की आर्थिक क्षमता है। कृपया बतायें कि क्या आप अभी भी नोकरी कर रहे हैं और यदि नहीं तो आय के स्रोत दिये जाने चाहियें।

(5) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट आदि के सम्मुख विभिन्न शपथ लेते हुये एक शपथपत्र कि आवेदक भारत में सदा के लिये बस गया है।

(6) बोजक (लागत-बोमा-भाड़ा मूल्य जो 22,000 रुपये से अधिक नहीं हों) के साथ आयात की जाने वाला प्रस्तावित कार तथा विशेष यंत्रों का विवरणात्मक साहित्य।

मैं/हम एवद्धारा घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त विवरण सही हैं। मुझे/हमें भलीभाँति ज्ञात है कि मुझे/हमें उपर्युक्त विवरण के आधार पर कोई भी लाइसेंस स्वीकृति किया जाता है और यदि उपर्युक्त विवरण पर उसका कोई भी भाग गलत पाया जाता है तो कानून के अन्तर्गत किसी की गई अन्य कार्यवाही का पक्षपात किये बिना रद्द किया जाएगा।

.....

(हस्ताक्षर)

स्थान तथा दिनांक

साफ अक्षरों में नाम

पद

निवास पता :

टिप्पणी :—केन्द्रीय सरकार के निक्षेप के लिये आवेदन शुल्क नकद में केन्द्रीय सरकार के व्यवसाय को चलाने वाली किफाई भी सरकारी राजकोष स्टेट बैंक आफ इण्डिया अथवा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के कार्यालय में एक अलग शीर्षक—इम्पोर्ट लाइसेंस एप्लीकेशन फी सबार्डिनेट टू दि मेजर हेड—32 मिस्लेनियस सोशयल एण्ड डिवेलपमेंट आर्गेनाइजेशन के अन्तर्गत जमा किया जाना चाहिये।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

